



उत्तर प्रदेश शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग-6
संख्या-14/2025/366/ 77-6-2025-77-6099/104/2022
लखनऊ: दिनांक 17-02-2025
संशोधन/शुद्धि पत्र

औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2003 के क्रियान्वयन हेतु मे० आर. एल. जे. कान्कोस्ट प्रा० चुनार, मिर्जापुर को शासनादेश संख्या-10/25/3148/77-6-2024-6099/104/2022, दिनांक 11.02.2025 द्वारा स्वीकृत ब्याज मुक्त ऋण के सापेक्ष 90 प्रतिशत का भुगतान किये जाने हेतु कुल धनराशि रू० 6,52,45,000.00 की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गई है। उक्त शासनादेश दिनांक 11.02.2025 में इकाई का नाम मे० आर. एल. जे. कान्कोस्ट प्रा० लि०, चुनार, मिर्जापुर के स्थान पर "मे० आर. एल. जे. कान्कोस्ट प्रा० चुनार, मिर्जापुर" एवं पृष्ठांकन/प्रतिलिपि में टंकण त्रुटिवश क्रम संख्या- 5 पर आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर के स्थान पर "संयुक्त आयुक्त उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ" अंकित हो गया है।

2- अतः उक्त शासनादेश संख्या-10/25/3148/77-6-2024-6099/104/2022, दिनांक 11.02.2025 में जहां-जहां इकाई का नाम " मे० आर०एल०जे० कान्कोस्ट प्रा० चुनार, मिर्जापुर" अंकित हो गया है, उसके स्थान पर " मे० आर०एल० जे० कान्कोस्ट प्रा० लि०, चुनार मिर्जापुर" पढ़ा जाए एवं पृष्ठांकन/प्रतिलिपि के क्रम संख्या-05 पर " संयुक्त आयुक्त उद्योग, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ " के स्थान पर " आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर" पढ़ा जाए ।

3- इस प्रकार शासनादेश दिनांक 11.02.2025 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा एवं पढ़ा जाए, उक्त शासनादेश की शेष शर्तें व प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेगी।

रामध्यान रावत
उप सचिव।

संख्या- 14/2025/366/ 77-6-2025-77-6099/104/2022 दिनांक तदैव।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
2. मुख्य कोषाधिकारी, कानपुर।

3. नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेंट, औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
4. प्रभारी, वि०यो०वि०, उ०प्र० वित्तीय निगम कानपुर को उनके पत्र संख्या-408/विनी वियोवि/2024-25 दिनांक 18.12.2024 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित किए जाने हेतु।
5. संयुक्त आयुक्त, उद्योग, लखनऊ मण्डल लखनऊ/ आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर।
6. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/4 ।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6 ।
9. नियोजन अनुभाग-1/4 ।
10. औद्योगिक विकास अनुभाग-2 ।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रामध्यान रावत
उप सचिव।